पत्र संख्या–6 / ब0गै0यो0–01–44 / 2011गृ0आ0..............................

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक (बजट, अपील एवं कल्याण)
बिहार, पटना

पटना, दिनांक मार्च, 2017

विषयः– **वायु सेना मुख्यालय , नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये हैलीकॉप्टर पर हुये व्यय की प्रतिप्रर्ति हेतु बकाये राशि का आवंटन।**

प्रसंग :– **वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली के पत्रांक–Air HQ/26001/SG-Bihar/01-02/Accts, दिनांक 21.06.16**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक–2024 / वित्त, दिनांक 16.02.2016 द्वारा राज्य में विभिन्न अवसरो पर उपयेाग में लाये गये हैलीकॉप्टर पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली के प्रासंगिक पत्र द्वारा अधियाचित राशि के विरूद्ध संबंधित विषय शीर्ष के अंतर्गत गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के पत्रांक–5221, दिनांक 06.07.2016, पत्रांक–7635, दिनांक 23.09.2016 एवं पत्रांक–8328, दिनांक 18.10.2016 द्वारा पूर्व आवंटित राशि के अतिरिक्त निम्नांकित रूप से कुल ₹ 93,22,000 (तिरानवे लाख बाईस हजार रू0) मात्र का आवंटन दिया जाता है :–

क्र0	विषय शीर्ष	पूर्व आवंटित राशि	वर्त्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1.	28 01–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं	₹ 151,82,77,224	₹ 93,22,000	₹ 152,75,99,224

2. उपर्युक्त राशि का आवंटन चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजना की मांग सं0–22 मुख्य शीर्ष–2055–पुलिस, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष–0009– प्रतिनियुक्त अर्द्ध सैनिक बलों पर व्यय, विषय शीर्ष 28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं एवं विपत्र कोड N2055000010009 अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

4. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

5. उपर्युक्त राशि के निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित विपत्र पर की जाय।

6. उपर्युक्त राशि के निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजात को संलग्न किया जाय।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण–पत्र का उल्लेख अवश्य किया जाय।

8. डी0सी0 विपत्र / उपयोगिता प्रमाण–पत्र तीन माह के अंदर समर्पित किया जाय।

9. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जाय।

10. उपर्युक्त में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0–6 / ब0गै0यो0–01–44 / 2011गृ0आ0..............................पटना, दिनांक मार्च, 2017

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

सरकार के अवर सचिव

ज्ञाप सं0–6 / ब0गै0यो0–01–44 / 2011गृ0आ0.............2284.............पटना, दिनांक 17 मार्च, 2017

प्रतिलिपि :– पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना / आई0टी0, प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना / वायु सेना मुख्यालय, नई दिल्ली के पत्रांक–Air HQ/26001/SG-Bihar/01-02/Accts, दिनांक 21.06.2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

16/03/17

सरकार के अवर सचिव